

(स्वाति गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

19.9.24 बडील पायी उपस्थित, पायी स्थान  
उपस्थित, पायी द्वारा मूल वाद प्रा.प. 0-23 R1  
व 3 CPC प्रस्तुत कट विज्ञो किया गया है।  
मूल वाद खालिज होने के कारण राजस्व  
प्राप्ति पर धारा 212 RTA (अलार्ड निषेध)।  
औचित्यहीन होने के कारण वर्तमान कट  
पर खालिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर  
से कम की जाकर बाद तत्काल दाखिल  
दफ्तर हो।

(उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी)

